न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

पंचायत निगरानी संख्याः 206/2023 GCMS No.—2023/301

1. सौभागमल पुत्र सियाराम जाति महाजन निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी मकान नंबर सी–119, तारानगर, खिरनी फाटक के पास, झोटवाडा, जयपुर।
2. मनोज पुत्र सियाराम जाति महाजन निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी मकान नंबर सी–119, तारानगर, खिरनी फाटक के पास, झोटवाडा, जयपुर।
3. राजेश पुत्र सियाराम जाति महाजन निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी 16, कनैया नगर सोसायटी स्वामी नारायण मंदिर के पास, बोरीसाना, गांधी नगर, गुजरात।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. रेखा पत्नि सुनील जाति महाजन निवासी ग्राम झर तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत झर पंचायत समिति बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत झर दिनांक 20.10.2022 अर्न्तगत पट्टा नंबर 38 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

पंचायत निगरानी संख्याः 199/2023 GCMS No.—2023/300

मोहनलाल पुत्र श्री भागीरथ, आयु 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ढाणी ढोलकी, ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत झर पंचायत समिति बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी।
2. रेखा पत्नि सुनील कुमार गुप्ता, जाति महाजन निवासी ग्राम झर तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत झर दिनांक 20.10.2022 अर्न्तगत पट्टा नंबर 38 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

निर्णय दिनांक:12.10.2023

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत झर, पंचायत समिति, बस्सी के निर्णय/आदेश दिनांक 20.10.2022 जिसके द्वारा गैर निगरानीकार रेखा पत्नि सुनील जाति महाजन निवासी ग्राम झर तहसील बस्सी, जिला जयपुर को पट्टा संख्या 38 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2022 को न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1 रेखा की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये। विपक्षी संख्या– दो की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व निगरानीकार मोहनलाल द्वारा पृथक से निगरानी 199/23 बउनवानी मोहनलाल बनाम ग्राम पंचायत झर पेश की गयी है। अतः प्रिसिंपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्त अनुसार एक ही निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व पेश की गयी उक्त दोनो पत्रावलियों में एक साथ बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्तागण बहस सुनी गयी।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार (सौभागमल वगै0) ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। निगरानीकर्तागण के दादा घासीलाल ओर दो भाई थे, बद्रीनारायण एवं घासीलाल के नाम से ग्राम झर में दिनांक 13.12.1983 को पट्टा जारी किया गया था जो कि आज तक अंतिम पट्टा है। निगरानीकर्तागण का ग्राम झर में पैतृक कब्जेशुदा अविभाजित आवासीय पुराना शामिलाती मकान था जिसमें आधा हिस्सा निगरानीकर्तागण का एवं आधा हिस्सा बद्रीनारायण का था लेकिन गैर निगरानीकार रेखा व उसके पति ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर गुपचुप में सम्पूर्ण मकान को अकेले अपने नाम से गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत झर द्वारा जिस जगह का गैर कानूनी पट्टा जारी किया गया है वह अकेले विपक्षी रेखा की न होकर निगरानीकर्तागण एवं विपक्षी रेखा देवी के पति सुनील के हकपूर्वाधिकारीयों की शामिलाती पैतृक पट्टेशुदा अविभाजित पैतृक जगह है उसके बावजूद ग्राम पंचायत ने अविभाजित पैतृक पट्टेशुदा शामिलाती आवासीय भूखण्ड का नया पट्टा बिना मौका देखे ही अकेले विपक्षी रेखा देवी गुप्ता के हक में जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्तागण का आवासीय भूखण्ड में हक अधिकार निहित

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

होते हुए भी कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ना ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं ना ही मौका निरीक्षण संबंधी कोई कार्यवाही की गयी बल्कि कागजी कार्यवाही की गई है इस प्रकार निगरानीकर्तागण को सुनवाई का मौका दिये बगैर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी रेखा देवी गैर कानूनी व अवैध रूप से जारी पट्टे की आड में निगरानीकर्तागण के पैतृक आवसीय मकान को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने में पंचायती राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों की पालना नहीं की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या एक रेखा देवी के हक में दिनांक 20.10.2022 को ग्राम पंचायत झर के द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता निगरानीकार (मोहनलाल) द्वारा भी दौराने बहस कथन किया गया कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की पालना करते हुए जारी नहीं किया गया इसलिए निगरानीधीन पट्टा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 (ग्राम पंचायत झर जरिये सरपंच/सचिव) द्वारा निगरानीकार अधिवक्ता के कथनों पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि उभयपक्षकारान की शामलाती भूमि है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत से जारी करवा लिया इसलिए निगरानीधीन पट्टा खारिज किया जाने की कृपा करें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष के कथनों पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावली तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत झर द्वारा गैर निगरानीकार रेखा देवी गुप्ता के आवेदन दिनांक 02.01.2022 पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.01.2022 को वार्ड पंचगण को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया। जिसके उपरान्त वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 09.02.2022 को मौका निरीक्षण किया एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वजो का 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा होना जाहिर किया। जिसके आधार पर दिनांक 20.10.2022 को ग्राम पचायत झर द्वारा गैर निगरानीकार रेखा देवी गुप्ता के हक में पट्टा संख्या 38 अर्न्तगत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया। निगरानीकार अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टा निगरानीकर्तागण के पैतृक कब्जेशुदा शामलाती मकान का बिना निगरानीकर्तागण की सुनवाई किये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जयपुर

अधिवक्ता ग्राम पंचायत झर जरिये सरपंच द्वारा भी निगरानीकार के कथनों पर सहमति दी गयी है एवं साथ ही दौराने बहस कथन किया गया है कि गैर निगरानीकार द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी करवाया गया है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर जाहिर होता है ग्राम पंचायत झर द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने में निगरानीधीन पट्टे की भूमि/आवासीय भूखण्ड में निहित सभी हिस्सेधारियों के हक अधिकार की पूर्ण जांच नहीं की गयी है। इसलिए प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचाायत राज अधिनियम 1996 में निहित नियमों की पूर्णतया पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता सौभागमल वगैरह एवं निगरानीकर्ता मोहलाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत झर, पंचायत समिति बस्सी द्वारा संकल्प संख्या 06 आदेश दिनांक 20.10.2022 द्वारा गैर निगरानीकार रेखा देवी गुप्ता पत्नि सुनील कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जयपुर के हक में जारी पट्टा संख्या 38 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत झर, पं.स. बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि निगरानी संख्या 206/23 बउनवानी सौभागमल बनाम रेखा में निहित उभय पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर, उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, निगरानीधीन पट्टे की भूमि में उभय पक्ष के निहित हिस्से, हक अधिकार की जांच कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)